आदेश बइजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।

प्रकरण संख्या 31/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच. डी. एफ. सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय एच डी एफ सी बैंक हाऊस, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, (वेस्ट) मुम्बई–400013 एवं शाखा कार्यालय फोर्थ फ्लोर, 10, सैन्ट्रल स्पाईन, टाईम स्क्वायर बिल्डिंग, विधाधर नगर, जयपुर।

– प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स राजस्थान प्लाईवुड एण्ड एलाईड एजेन्सीज जरिये प्रोपराईटर गोपाल कृष्ण बिहानी।
2. गोपाल कृष्ण बिहानी पुत्र श्री पन्ना लाल बिहानी
3. दीवाकर बिहानी पुत्र श्री गोपाल कृष्ण बिहानी

पता:– 1. शॉप नम्बर 35 एण्ड 36, न्यू आतिश मार्केट, मानसरोवर, जयपुर (राजस्थान)
2. 2,जीए–21 जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण/ऋणी एवं गारन्टर

Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित –

1. श्री हितेश सैन अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से

आदेश दिनांक 18.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.01.2015 पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में क्रमश: अप्रार्थी गोपाल कृष्ण बिहानी एवं दिवाकर बिहानी ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति शॉप नम्बर 35, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान माप लगभग 88.88 वर्ग गज एवं शॉप नम्बर 36, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान माप लगभग 88.88 वर्ग गज को बधक कर प्रिंसीपल एग्रीमेन्ट दिनांक 13.01.2015 के जरिये 30,35,000/–रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया उक्त राशि को जरिये सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट दिनांक 03.02.2016 में बढाकर 1,73,85,000/–रूपये ऋण उपलब्ध करवाया गया। इसके पश्चात उक्त राशि को जरिये सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेंट संख्या 82271276 दिनांकित 03.11.2016 के जरिये 2,16,00,000/– रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित मे अप्रार्थी ऋणियो को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सौरभ, अधिवक्ता दिनांक 02.04.2021 को उपस्थित, जिन्होने जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा। इसके पश्चात् कोई उपस्थित नही। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस मे निस्तारण किये जाने का प्रावधान है, अत: और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को प्रिंसीपल एग्रीमेन्ट दिनांक 13.01.2015 के जरिये 30,35,000/–रूपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया उक्त राशि को जरिये सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट दिनांक 03.02.2016 मे बढाकर 1,73,85,000/–रूपये ऋण उपलब्ध करवाया गया। इसके पश्चात उक्त राशि को जरिये सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेंट संख्या 82271276 दिनांकित 03.11.2016 के जरिये 2,16,00,000/– रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 1,93,05,064/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एव 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानो के तहत वित्तीय सस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एव अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अत: The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय सस्था के पक्ष मे अप्रार्थी गोपाल कृष्ण बिहानी एवं दिवाकर बिहानी के स्वामित्व की सम्पत्ति शॉप नम्बर 35, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान माप लगभग 88.88 वर्ग गज एवं शॉप नम्बर 36, न्यू आतिश मार्केट, गोपालपुरा बाय पास, जयपुर, राजस्थान माप लगभग 88.88 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय सस्था को प्राप्त करने मे सहयोग कर वित्तीय सस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 18.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/11/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर